रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 1995/भाद्र 23, 1917
No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 1995/BHADRA 23, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1995

सं० 52/95-सी० टै०-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 636(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा असबाब नियमावली, 1994 का और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (i) ये नियम, असबाब (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1995 कहलाएंगे ।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. असबाब नियमावली, 1994 में,

(i) अध्याय II में

(क) नियमावली 3 में "नेपाल या भूटान" शब्दों के स्थान पर "नेपाल, भूटान, बर्मा, या चीन" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(ख) नियम 5 में, खण्ड II में, उप-खण्ड "ख" का लोप किया जाएगा ।

3. अध्याय III में,

(क) नियम 12 में, "सात सौ और पचास रुपये" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 495/20/95-सीमु. VI]
ए. एस. बेदी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 1995

No. 52/95-NT-Customs

G.S.R. 636(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby makes the following Rules further to amend the Baggage Rules, 1994 namely :—

1. (i) These rules may be called the Baggage (Second Amendment) Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Baggage Rules, 1994,

(i) In Chapter II :

(a) In Rules 3 for the words 'Nepal or Bhutan' the words 'Nepal, Bhutan, Burma, or China' shall be substituted.

(b) In rule 5, in clause II, the sub-clause "b" shall be omitted.

3. In Chapter III :

(a) In rule 12, for the words "seven hundred and fifty rupees", the words "two thousand rupees", shall be substituted.

[F. No. 495/20/95-Cus. VI]
A. S. BEDI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1995